# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामफूल बनाम ग्यारसी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | 566/2024, 510/2024, 565/2024, 511/2024<br>पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 566/2024, 510/2024, 565/2024, 511/2024 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अत: अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावलीयो पर सुनी गयी। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/12/2025 को पेश हो। | |
| 26/12/2025 | आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक अपीले प्रस्तुत की गयी। रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद पेश किया, जो अपीलार्थी के पिता मंगला के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25/08/2020 में मृत्यु हो जाने का अंकन है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी दिनांक 25/11/2020 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृत्त व्यक्ति के विरुद्ध दावा पेश किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लिमिटेशन के बाहर प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 जाप्ता दीवानी के बगैर प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्य दावा उनवानी ग्यारसा बनाम काना पेश किया, जिसमे विवादग्रस्त भूमि एवं पक्षकार अलग-अलग है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दोनों दावे में अलग-अलग दिवस को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों दावो को हमफिता किये बगैर ही अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों दावो को हमफिता किये जाने पर दोनों पक्ष सहमत थे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 125/2023 को रेस्पो. द्वारा पेश किये जाने पर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये, जो लेने से ईन्कारी की टिप्पणी के साथ लौट के आ गये, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से तामील मान ली गयी। अपीलार्थी की बहन रेस्पो. संख्या 1/3 व 1/4 अलग-अलग पते पर रहती है, जिसकी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तामील मान ली गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तलब किये जाने पर अंकित किया कि अन्य वाद संख्या 134/2023 उनवानी ग्यारसा बनाम गोपाल में मंगवाई गयी कुर्रेजात रिपोर्ट को ही अपीलाधीन वाद की कुर्रेजात रिपोर्ट मानकर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09/05/2024 | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामफूल बनाम ग्यारसा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी |
|---|---|---|
| 586/2024, 510/2024<br>565/2024, 511/2024 | | |

पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20/03/2024 को आदेशिका में प्रार्थना पत्र पत्र आदेश 22 नियम 03 सीपीसी स्वीकार किये जाने का अंकन किया है, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संशोधित उनवान एवं वारिसान की तामील करवाया जाना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को नजरंदाज करते हुए एकपक्षीय डिक्री पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनवानी ग्यारसा बनाम गोपाल के वाद में पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09/05/2024 को उनवानी ग्यारसा बनाम काना के वाद में भी अन्तिम निर्णय व डिक्री मन लिया गया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दोनो दावो में विवादित भूमि अलग-अलग है, जिसका एक निर्णय नही किया जा सकता है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिए बगैर एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर वाद में संख्या 125/2023 उनवानी ग्यारसा बनाम काना में प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/03/2024 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09/05/2024 तथा वाद संख्या 134/2023 उनवानी ग्यारसा बनाम गोपाल में प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19/03/2024 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09/05/2024 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा उनवानी ग्यारसा बनाम काना के नाम से पेश किया, जिसमे सम्पूर्ण खसरा नम्बर थे तथा उनवानी ग्यारसा बनाम गोपाल में कुछ खसरे ही थे | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सहमति से प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा क्या आपत्ति की है, के तथ्य को नही बताया गया है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत्त व्यक्ति के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 सीपीसी स्वीकार किया है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन का दावा कानूनन कभी अबेट नही होता है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपस्थित पक्षकारो की सहमती जाहिर किये जाने के पश्चात अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की गयी है | तहसीलदार ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की अनुपालना में समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी है | अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कोनसी डिक्री को निरस्त करवाना चाहा गया है, को स्पष्ट नही किया है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर एवं सही रूप से वाद संख्या 125/2023 उनवानी ग्यारसा बनाम काना में प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/03/2024 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
## रामफूल बनाम ग्यारसी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 566/2024, 510/2024<br>565/2024, 511/2024 | |

दिनांक 09/05/2024 तथा वाद संख्या 134/2023 उनवानी ग्यारसा बनाम गोपाल में प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19/03/2024 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09/05/2024 पारित किये है, जिसमे तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे | चूँकि चारो अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों द्वारा इकजाई रूप से बहस की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से चारो अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावलीयां मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है | विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19/03/2024 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09/05/2024 यथावत रखे जाते है एवं अपील संख्या क्रमश: 566/2024, 510/2024, 565/2024, 511/2024 ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 26/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |